



न्यायालय :- तहसीलदार, न्यायिक  
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : लखनऊ  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202310460206673  
वाद संख्या:- 6673/2023  
तारिक फराज बनाम मोहम्मद जियाउद्दीन  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34/35  
" अंतिम आदेश "  
आदेश तिथि:- 21/05/2023

वाद-1801

ग्राम-महिपतमऊ

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी तारिक फराज के प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2023 पर प्रारम्भ किया गया उसमें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2023 के आधार पर प्रार्थना की है कि विक्रेता-मोहम्मद जियाउद्दीन पुत्र मोहम्मद कासिम निवासी-एम-84/1, तृतीयतल बैक साइड लेन नं०-8, बटला हाउस, जामिया नगर, ओखला दक्षिण दिल्ली, दिल्ली के स्थान पर क्रेता-तारिक फराज पुत्र श्री मोहम्मद बदरुद्दीन निवासी नई बस्ती खैराबाग, बड़गांव गोण्डा-उ०प्र० का नाम गाटा संख्या 115 रकबा 0.3980 हे० में से रकबा

0.0102हे०, स्थित ग्राम महिपतमऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ पर अंकित किया जाये।

नियमानुसार घोषणा पत्र प्रसारित किया गया जो कि वाद तामील शामिल पत्रावली किया गया हैं। कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। अतः वाद निर्विवाद है। पत्रावली पर उद्घरण खतौनी वर्ष 1430 से 1435 फ० के खाता संख्या 00010 बाबत ग्राम-महिपतमऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2023 व शपथ पत्र संलग्न है। लिखित रूप में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान अंकित है। लेखपाल के बयान से स्पष्ट है कि भूमि का सम्बन्ध आवंटन, सीलिंग, भूदान शत्रु निष्क्रान्ति सम्पत्ति से नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। यह बैनामा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-महिपतमऊ परगना तहसील व जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1430 से 1435 फ० के खाता संख्या 00010 की गाटा संख्या 115 रकबा 0.3980 हे० में से रकबा 0.0102हे०, मा०गु० 60ख से विक्रेता-मोहम्मद जियाउद्दीन पुत्र मोहम्मद कासिम निवासी-एम-84/1, तृतीयतल बैक साइड लेन नं०-8, बटला हाउस, जामिया नगर, ओखला दक्षिण दिल्ली, दिल्ली का नाम निरस्त करके क्रेता-तारिक फराज पुत्र श्री मोहम्मद बदरुद्दीन निवासी-नई बस्ती खैराबाग, बड़गांव गोण्डा-उ०प्र० का नाम संक्रमणीय भूमिधर द्वारा बैनामा दिनांक 02.03.2023 अंकित किया जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:

तहसीलदार (न्यायिक)

सदर, लखनऊ

#### **Disclaimer :**

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"